न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)
मुकदमा नम्बर :– 50 / 2024
CMS NO. 2024/108

होशियार सिंह पुत्र श्री लेखूराम उम्र 45 साल जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

......................प्रार्थी / आवेदक

– ब ना म –

1. रामेश्वर पुत्र पन्ना जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
2. सतवीर पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
3. राजवीर पुत्र श्री नोपाराम जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
4. कर्णसिंह पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
5. धर्मपाल पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
6. किशोरी पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
7. विमला पुत्री नोपाराम पत्नि रोहिताश जाति जाट निवासी खानपुर हाल आबाद बिशनपुरा पोस्ट जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज0)
8. लीलाधर पुत्र भोलाराम जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
9. अनिता पुत्री महीपाल पत्नि शीशराम जाति जाट निवासी खानपुर हाल आबाद निजामपुर पोस्ट छिलरो तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ (हरि0)
10. संजय पुत्र श्री महीपाल जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
11. संतोष देवी पत्नि महीपाल जाति जाट निवासी [illegible] तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
12. मुकेश पुत्र हजारी जाति जाट निवासी खानपुर [illegible] जिला झुन्झुनू (राज0)
13. संजय पुत्र हजारी जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
14. सुनीता पुत्री हजारी पत्नि अजीत सिंह जाति जा[illegible] निवासी खानपुर हाल [illegible] निजामपुर पोस्ट छिलरो तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ (हरि0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:08:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

15. सुमित्रा देवी पत्नि हजारी जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
16. सांवल पुत्र पन्ना जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

..........अप्रार्थीगण / अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता कायमी

अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्री कुलशन डांगी	अभिभाषक	प्रार्थी / आवेदक
2. श्री राधाकृष्ण शर्मा		
3. श्री प्रविन्दर सिंह शेखावत	अभिभाषक	अप्रार्थी सं. 1, 2, 4 से 7
4. श्री रमेश योगी		

–: <u>**निर्णय**</u> :– दिनांक :– 02.06.2025

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से दिनांक 18.03.2024 को इस आशय का पेश किया गया है कि :–

1. यह कि वाके ग्राम खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) मे स्थित भूमी जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के खाता स. 172 के हाल ख.न. 540 रकबा 0.04 हैं ख.न. 541 रकबा 5.39 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 5.43 हैक्टर भूमी का आवेदक खातेदार कास्तकार दर्ज रिकॉर्ड हैं।
2. यह कि वाके ग्राम खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) में स्थित भूमी जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स. 147 के हाल ख.न. 535 रकबा 1.85 हैक्टर अनावेदकगण स. 1 लगायत 16 के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज हैं तथा इस भूमी के पूर्व मे सटता हुआ आम रास्ता सड़क सिंघाना से खानपुर जाने रिकॉर्ड में मौजूद हैं।
3. यह कि आवेदन पत्र के खण्ड न. 1 [illegible] ख.न. 540 रकबा 0.04 हेक्टर तथा ख.न. 541 रकबा 5.39 हेक्टर भूमी में कोई [illegible] रास्ता आने जाने के लिए [illegible] के सहारे नहीं है आवेदक ख.न. 535 रकबा 1.85 [illegible] 541 की उतरी मेड के पूर्वी कोने से सहारे पश्चिम में आकर अपनी भूमी ख.न. 541 में आवागमन करता है तथा इसी मे से रास्ता मौके पर हैं अपनी भूमी ख.न. 541 में आवागमन करता है तथा इसी मे से रास्ता मौके पर है क्योकि आवेदक के आने जाने के लिये सबसे निकटतम यह भूमी व रास्ता है आवेवक अपनी भूमी ख.न. 540 व 541 मे पुख्ता कुआ व पुख्ता मकानात बनाकर रिहायश करता आ रहा हैं आवेदक ख.न. 535 रकबा 1.85 हैक्टर भूमी के दक्षिणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:08:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(झुंझुनूं)

मियाल के सहारे ही आवागमन करता है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड मे कटान का रास्ता नही होने के कारण बिना रास्ते के भूमी ख.न. 540 व 541 मे आने जाने के लिए व फसल कारत करने व मकान तक आने–जाने व चारा, अनाज लाने के लिए गाड़ी, ट्रक्टर व अन्य साधन तथा स्वयं भी आने जाने के लिए अनेक असुविधाओ का सामना करना पड़ता हैं तथा आवेदक के पास आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नही हैं इसलिए आवेदक को अपनी भूमी ख.न. 540 व 541 तक पहुंचने के लिए 18 फुट चौड़े रास्ते की आवश्यक्ता हैं। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ नजरी नक्शा प्रस्तत किया जा रहा हैं जिसमे चाहे गये रास्ते को मार्क A व B से दर्शाया गया हैं।

4. यह कि अनावेदक स. 2 लगायत 7 के पिता नोपाराम पुत्र पन्ना की मृत्यु हो चुकी हैं जिसके बाद उनके विधिक वारीसान अनावेदक स. 2 लगायत 7 है जिनके पास सम्पति का टाईटल भी हैं एवं सहखातेदार मनकौरी पत्नि भोलाराम की भी मृत्यु हो चुकी हैं जिनके वारीसान राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हैं।

5. यह कि ख.न. 536, ख.न. 537, ख.न. 538, ख.न. 539 के खातेदारों ने उतरी दिशा की ओर मियाल के सहारे सहारे मकानात बनाकर आबाद हैं एवं रिहायश होने की वजह से ख.न. 535 के दक्षिणी मियाल के सहारे सहारे आवेदक को अपने खेत ख. न. 540 व 541 में आने जाने के लिये एक मात्र वैकल्पिक व सबसे सन्निकट रास्ता है व उक्त रास्ता आवेदक को अत्यान्तिक आवश्यक्ता का भी हैं।

6. यह कि आवेदक ख.न. 535 के सहखातेदारों (अनावेदकगणों) को नियमानुसार डी. एल.सी.रेट का दुगुना भुगतान करने को तैयार एवं तत्पर है अथवा न्यायालय श्रीमानजी जो भी आदेश करते हैं उसकी पालना करने को तत्पर हैं।

7. यह कि आवेदक अपनी भूमी तक आने जाने के लिए ट्रक्टर, उंट गाडी व अन्य साधन ले जाता हैं व स्वयं भी आवागमन करता हैं लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे कटान का रास्ता नही होने के कारण अनावेदकगण रास्ते को बंद करने की धमकी दे रहे हैं इसलिए आवेदक को उक्त आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

8. यह कि आवेदन पत्र के खण्ड न. 1 व 2 में वर्णित भूमी वाके ग्राम खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) मे स्थित होने से उक्त आवेदन पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त हैं।

9. यह कि आवेदन पत्र पेश करने के [illegible] आवेदक की भूमी मे जाने के लिए कोई कटानी रास्ता न होने से तथा [illegible] द्वारा ख.न. 535 मे से आने जाने से मना करने से पैदा हुआ [illegible] प्रस्तुत किया गया हैं आवेदन

10. यह कि आवेदन पत्र अपडेट नवीनतम रिकॉर्ड के साथ [illegible] पत्र के समर्थन मे आवेदक का शपथ पत्र संलग्न [illegible]

11. यह कि आवेदन पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:08:21 IST
Reason: SelfAttested

12 अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि :-

(क) कि वाके ग्राम खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमी ख. न. 535 रकबा 1.85 हैक्टर मे से उक्त ख.न. 535 की दक्षिणी मियाल के सहारे – सहारे उतर दक्षिण 18 फिट चौडा रास्ता पूर्वी ओर स्थित पुख्ता सडक खानपुर– सिंघाना से पश्चिमी ओर आवेदक की भूमी ख.न. 541 की उतरी मेड के पूर्वी कोना जिसको नजरी नक्शा मे मार्क A से B दर्शाया गया हैं. को 18 फिट चौडाई में कायम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज किये जाने कि कृपा करें।

(ख) अन्य अनुतोष जो उचित हो व भूल से चाहे जाने से रह गया हो दिलवाया जावे।

13 प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तामील जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 3, 8 से 16 बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

14 अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 से 7 की ओर से दिनांक 26.06.2024 को इस आशय का जवाब पेश हुआ कि :-

15 यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 1 स्वीकार हैं।

16 यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 2 गलत होने से स्वीकार नहीं हैं वाके ग्राम खानपुर के जमाबन्दी सवंत् 2075–78 के खाता स. 147 के ख.न. 377 रकबा 0.01 हेक्टर ख. न. 378 रकबा 1.85 हैक्टर ख.न. 439 रकबा 0.07 हेक्टर ख.न. 440 रकबा 2.97 हैक्टर ख.न. 465 रकबा 1.96 हैक्टर ख.न. 535 रकबा 1.85 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 8.71 हैक्टर का अप्रार्थी स. 1 लगायत 16 का विभाजन हो चुका हैं परन्तु पटवारी हल्का ने इसे रिकॉर्ड मे दर्ज नहीं किया विभाजन के अनुसार 535 का तीन टुकड़ा किया गया ख.न. 535/1 रकबा 0.91 हैक्टर भूमी रामेश्वर पुत्र पन्नाराम अप्रार्थी स. 1 ख.न. 535/2 रकबा 0.03 हेक्टर भूमि भी अप्रार्थी स. 1 रामेश्वर पुत्र पन्ना हिस्सा 1/2 व नोपाराम पुत्र पन्नाराम हिस्सा 1/2 दिया गया तथा ख.न. 535/3 रकबा 0.91 हैक्टर भूमी नोपाराम पुत्र पन्नाराम को विभाजन के रूप मे दिया है जिसे पटवारी हल्का अपने रिकॉर्ड मे दर्ज नही कर रहा हैं इस प्रकार प्रार्थी का खण्ड न. 2 अधुरा होने के कारण स्वीकार नही हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:08:21 IST
Reason: SelfAttested

17 यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. [illegible] नहीं हैं अप्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमी हाल ख.न. [illegible] हैक्टर भूमि पर सम्पूर्ण पर जालीनुमा पुख्ता तारबाड कर रखी हैं। तथा प्रार्थी [illegible] कभी भी अप्रार्थीगण के खेत ख.न. 535 की दक्षिण मेड से आवागमन नही किया हैं अप्रार्थीगण का खेत ख.न.

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुझुनू)

535 मे एक इन्च जगह भी रास्ते के रूप में प्रार्थी उपयोग उपभोग नही की हैं तथा ना ही वर्तमान में कर रहा है प्रार्थी भूमि ख.न. 541 के पश्चिम में स्थित ख.न. 518 की उतरी मेड पर से लगातार आवागमन करता रहता हैं तथा उक्त रास्ता प्रार्थी के सबसे नजदीक भी लगता हैं उक्त रास्ता ग्राम खानपुर से ढाणी पिठौला से सिंघाना, सातड़िया को जाता है प्रार्थी अपना कुआ आदि पर आने जाने के लिए उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करता है उक्त रास्ता प्रार्थी के खेत से नजदीक हैं तथा सुगम है उक्त कुछ रास्ता कटानी का भी है तथा कुछ रास्ता प्रचलित हैं जो कि ग्राम खानपुर से ढाणी पिठौला सातड़िया, सिंघाना आदि कई गावो को जोड़ता हैं प्रार्थी ने कभी भी अप्रार्थीगण के खेत ख.न. 535 की दक्षणी मेड से आना जाना नहीं किया है ख.न. 535 की चारो मेड पर अप्रार्थीगण ने पुख्ता तारबाड़ कर रखी हैं जिसको उखाड़ना काफी मुश्किल हैं और यदि न्यायालय श्रीमानजी उक्त पुख्ता तारबाड़ को उखाड़ता हैं तो अप्रार्थीगण के खेत ख.न. 535 में कई पेड़ को उखाड़ना पड़ेगा साथ ही अवारा पशुओ से अप्रार्थी के खेत से ज्यादा नुकसान भी करेंगे इस प्रकार प्राथी को अपनी खातेदारी भूमी ख.न. 541 में आने जाने के लिए ख.न. 581 मे से रास्त दिया जावे जो कि प्रार्थी के सबसे नजदीक भी हैं तथा उक्त रास्ता धारा 251 (क) के अनुरूप भी हैं तथा प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे नजरी नक्शा सलंग्न किया हैं अप्रार्थी को उसकी नकल नही दी हैं इस प्रकार प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 3 गलत होने से स्वीकार नहीं हैं।

18. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 4 कानूनी हैं जिसके जवाब की कोई आवश्यक्ता नही हैं।

19. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 5 गलत होने से स्वीकार नही है उक्त खण्ड मे प्रार्थी ने भूमी ख.न. 536, 537 538, 539 में किसने मकान बना रखे हैं उनका विवरण नही दिया हैं दरअसल मे प्रार्थी को रास्ते की आवश्यक्ता ही नही हैं प्रार्थी केवल अप्रार्थी स. 1 लगायत 7 को परेशान करने के लिए ही उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थी अपना आना जाना कई वर्षो से भूमी ख.न. 541 के पश्चिम में स्थित ख.न. 518 मे से प्रचलित व कटानी रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहा हैं। उक्त रास्ता ग्राम खानपुर ढाणी पिठौला, सातड़िया व सिंघाना को जाता हैं।

20. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 6 गलत होने से स्वीकार नही हैं भूमी ख.न. 535 मे कानूनी रूप से रास्ते देने की कोई आवश्यक्ता नही हैं प्रार्थी के समीप भूमी ख.न. 518 मे स्थित रास्ते के आवागमन करता [illegible] प्रार्थी को डी.एल.सी. रेट के दुगना रूपया लेना हैं या नही [illegible] भूमी ख.न. 518 के खातेदार ही देगे परन्तु यदि न्यायालय श्रीमानजी [illegible] के खेत भूमी ख.न. 535 से रास्ता देता हैं तो अप्रार्थीगण को भूमी को बदले [illegible] जितनी भूमी रास्ते में जाती हैं उससे दुगनी भूमि देने की आदेश दिये न्यायालय श्रीमान्‌जी से निवेदन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:08:21 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

21. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 7 मनगढंत व काल्पनिक बनाया हुआ है जो कि स्वीकार नहीं हैं ।

22. यह कि प्रार्थना का खण्ड न.8 कानूनी हैं जिसके जवाब की कोई आवश्यक्ता नहीं हैं।

23. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 9 गलत होने से स्वीकार नहीं हैं प्रार्थीगण ने भी अप्रार्थीगण के खेत ख.न. 535 को आना जाना नहीं किया है इसलिए प्राथी को रोकने का तो प्रश्न ही नहीं होता हैं प्रार्थी भूमी ख.न. 518 में स्थित रास्ता जो कि ग्राम खानपुर से ढाणी पिठोला, सातड़िया, सिंघाना को जाता है उसमे अपना आना जाना करता हैं।

24. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड न. 10 गलत होने से स्वीकार नहीं हैं प्रार्थी ने गलत अधूरा रिकॉर्ड पेश किया है प्रार्थी ने अपने नक्शे मे या प्रार्थना पत्र में भूमी ख.न. 541 के पश्चिम में रास्ते को नहीं दिखाया है। अतः प्रार्थी का अनुतोष का खण्ड न. क व ख अस्वीकार करके खारिज किये जावे।

अतिरिक्त उतर

25. यह कि प्रार्थी ने उक्त मुक्दमा बेबुनियासद पेश किया है जिसमे प्रार्थी को सफलता मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं हैं।

26. यह कि प्रकरण मे प्रार्थी ने तथ्य को छुपाकर झूठा मुकदमा दायर किया हैं दरअसल प्रार्थी को अप्रार्थी स.1 लगायत 7 से परेशान करने के लिए यह झूठा मुक्दमा दर्ज करवाया है प्रार्थी की भूमी ख.न. 535 की दक्षिण मेड से कभी भी आना जाना नहीं किया है क्योकि अप्रार्थी अपने अपने खेत ख.न. 535 रकबा 1.85 हेक्टर भूमी पर पुख्ता तारबाड़ कर रखी हैं। उस तरफ प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए उस तरफ प्रार्थी के खेत मे आने जाने के लिए मौके पर कोई भी रास्ता विधमान नही हैं जबकि उक्त तरफ अप्रार्थीगण ने कीमती वृक्ष लगा रखे हैं यदि न्यायालय श्रीमानजी उस तरफ से प्रार्थी को रास्ता देता भी हैं तो अप्रार्थीगण को काफी नुकसान होगा जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकेगा।

27. यह कि प्रार्थी के खेत ख.न. 541 के समीप भूमी ख.न. 520, 518 में कटानी व प्रचलित रास्ता हैं जो कि गुगल मैप में स्पष्ट दर्शाता हैं उक्त रास्ता खानपुर से ढाणी पिठौला, सातड़िया व सिंधाना को जाता हैं प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग पिछले कई पिढियो से [illegible] आ रहा हैं। [illegible] मेड स्थित तारवाड

28. यह कि यदि न्यायालय श्रीमानजी भूमी ख.न. [illegible] लगायत 7 को काफी को उखाड़कर प्रार्थी को रास्ता [illegible] या। उसमे फसल नुकसान होगा आवारा पशु अप्रा[illegible] [illegible]सान होगा जिसका मुल्यांकन आदि नहीं होने देगे। जिससे अप्रार्थीगण को काफी [illegible] मुद्रा में भी नहीं किया जा सकता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:08:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

29. यह कि प्रार्थी का उक्त मुकदमा अप्रार्थीगण को रंजिशवश परेशान करने के लिए किया गया है।

30. अतः **जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि** :– प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार करके खारिज किया जावे तथा प्रार्थी को भूमि खसरा नम्बर 541 के लिए भूमि खसरा नम्बर 518 में से रास्ता दिये जाने के आदेश फरमाया जावे।

31. तहसीलदार बुहाना से उनके पत्रांक भू.अ./2025/874 दिनांक 25.03.2025 से मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस भू0अ0निरीक्षक वृत सांवलोद दिनांक 24.02.2025 प्राप्त हुई जो निम्नानुसार है :–

32. आवेदक द्वारा वाके ग्राम खानपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 540 व 541 में आने–जाने के लिए भूमि खसरा नम्बर 535 की दक्षिणी मेड़ के सहारे–सहारे रास्ता चाहा गया है। रास्ते की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा संलग्न है।

33. आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता के अतिरिक्त जो रास्ता सबसे सुलभ एवं नजदीक है। वह रास्ता मौका स्थिति व राजस्व रिकार्ड के आवेदक द्वारा चाहा गया खसरा नम्बर 535 की दक्षिणी मेड़ के सहारे–सहारे वाला ही है। इसके अलावा कोई अन्य सुलभ एवं नजदीक का रास्ता नहीं बनता। प्रस्तावित रास्ते चारो तरफ के खसरा नम्बरों को नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित किया गया है। नक्शा ट्रेस संलग्न है।

34. विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध होता है। क्योंकि मौका स्थिति व राजस्व रिकार्ड के उक्त रास्ता सबसे सुलभ व नजदीक है।

35. प्रस्तावित रास्ता 05 मीटर चौड़ा होगा (आवेदक द्वारा 18 फिट चौड़ा रास्ता मांगा गया है।) तथा प्रस्तावित रास्ते के प्रथम बिन्दु संख्या **A** से आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 540 व 541 बिन्दु संख्या **B** तक रास्ते को सीमांकित/दर्शित नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है जो निकटतम एव लघुतम है। नक्शा ट्रेस संलग्न है।

36. प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 535 में चौड़ा 05 मीटर व लम्बाई में 140 मीटर होगा जिसका क्षेत्रफल 5 X 140 = 700 वर्ग मीटर बनता है। अर्थात 0.0700 हेक्टेयर क्षेत्रफल होगा। जिसकी गणना वर्तमान DLC के दुगुने से कुल राशि 2, 38, 700/– (दौ लाख अड़तीस हजार सात सौ रूपये मात्र) बनते है।

37. प्रस्तावित रास्ते के लिए अवधारित भूमि के मूल्य के अतिरिक्त, जो हानि व नुकसान है वह एक खेजड़ी (जाटी) पेड़ का नुकसान व एक नीम का पेड़ दो पेड़ो का नुकसान होगा। उक्त प्रस्तावित रा[illegible] के ऊपर से 33 हजार बिजली वॉट की लाईन जा रही है।

38. प्रार्थी की ओर से राजस्व साक्ष्य [illegible] संवत 2075–2078 [illegible] राजस्व ग्राम खानपुर पेश हुये। इसके अतिरिक्त और अन्य कोई [illegible] खाता संख्या नया 172, 147 तथा [illegible] पेश नहीं हुई। अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:08:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनू)

... केवल प्रार्थी के ही हस्ताक्षर

की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में फोटो प्रति नक्शा ट्रेस सन् 1977–78 खसरा नम्बर 534, 535, 540, 541 व अन्य राजस्व ग्राम खानपुर, फोटो प्रति वाद संख्या 190/2015 बउनवानी सावल आदि बनाम मनकौरी आदि निर्णय दिनांक 18.08.2022 बाबत खाता विभाजन पेश हुये।

39. अधिवक्ता उभय पक्षकारान के निवेदन पर बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई।

40. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, प्रलेखीय दस्तावेजात्, प्रार्थना पत्र के अभिवचनों व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा आद्योपान्त परीक्षण किया गया।

41. **विचारणीय बिन्दु :–** क्या प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के तहत पोषणीय है ?

42. धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एक खातेदार काश्तकार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार काश्तकार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहने के अधिकार प्रदत्त करती है। प्रार्थी भी एक खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार काश्तकार की भूमि से रास्ते की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 251 (क) के उपबन्धों को लागू करने के लिए बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 69 के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार बुहाना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2025/874 दिनांक 25.03.2025 (संलग्न नक्शा ट्रेस भू.अ.निरी.वृत सांवलोद दिनांक 24.02.2025) से यह सिद्ध होता है कि प्रार्थी को अपनी जोत (हॉलिंग) खसरा नम्बर 541 में पहुंचने के लिए रास्ते की आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत (हॉलिंग) के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है एवं विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर किसी नये रास्ते के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव है। प्रार्थी के पास प्रस्तावित नवीन/नये रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपनी जोत खसरा नम्बर 541 में पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 535 रकबा 1.85 हेक्टेयर ग्राम खानपुर में से प्रस्तावित (नजरी नक्शा में लाल स्याही से) मार्ग निकटतम एवं लघुतम होगा। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर बनता है।

43. प्रार्थी के द्वारा अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रावधानों के तहत ही हस्तगत प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया है। उक्त धारा एक खातेदार काश्तकार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार काश्तकार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहने दोनों ही अधिकार प्रदत्त करती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:08:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

44 अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी के हस्तगत प्रार्थना पत्र पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के प्रावधान बखूबी लागू होने से प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये वांछित रास्ता प्रार्थी को दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। लिहाजा

—: आदेश :—

45 अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना दिनांक 25.03.2025 (संलग्न नक्शा ट्रेस भू.अ.निरी.वृत सांवलोद दिनांक 24.02.2025) के प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके राजस्व ग्राम खानपुर पटवार हल्का खानपुर तहसील बुहाना स्थित प्रार्थी की एकांकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 541 में आने जाने के लिए राजस्व ग्राम खानपुर पटवार हल्का खानपुर तहसील बुहाना स्थित जमाबन्दी संवत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 147 के अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 535 रकबा 1.85 हेक्टेयर में से नक्शा ट्रेस भू.अ.निरी.वृत सांवलोद दिनांक 24.02.2025 **(प्रदर्श–"अ")** में लाल स्याही से अंकितानुसार बिन्दु संख्या A से B तक रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में भूमि खसरा नम्बर 535 रकबा 1.85 हेक्टेयर में से 140 मीटर लम्बाई X 5 मीटर चौड़ाई = 700 वर्ग मीटर भूमि रास्ते हेतु निर्वापित की जानी है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकर की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC 17,05,000/–रूपये (अधिकतम) की दर से खसरा नम्बर 535 के रकबा 700 वर्ग मीटर भूमि की दुगुनी राशि 02,38,700/– (अक्षरे दो लाख अड़तीस हजार सात सौ) प्रार्थी तहसीलदार बुहाना के समक्ष जमा करवायेगा। तहसीलदार बुहाना खसरा नम्बर 535 के खातेदार/अप्रार्थीगण को प्रतिकर की राशि 02,38,700/–रूपये प्रभावित क्षेत्रफल/हिस्से के अनुसार गणना कर नियमानुसार अदा करेगें। तदनुसार भूमि खसरा नम्बर 535 के रकबे में से रास्ते की बाबत 700 वर्ग मीटर (0.0700 हेक्टेयर) भूमि निर्वापित कर रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेख में किस्म **"गैर मुमकीन रास्ता"** के रूप में राजकीय खाता संख्या 1 में अभिलिखित करेगें। उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा। **प्रदर्श–"अ"** इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। जांच रिपोर्ट के अनुसार रास्ते के दायरे में एक पेड़ खेज[illegible] भूमि का इस प्रकार कुल 2 पेड़ प्रभावित होगें। अतः उक्त दोनों पेड़ों का अनु[illegible] अधिकतम 9,000/–रूपये (अंकेही नौ हजार रूपये) [illegible] राशि भी प्रार्थी तहसीलदार बुहाना के समक्ष जमा [illegible] बुहाना खसरा नम्बर 535 के खातेदार/अप्रार्थीगण को 9,000/–रूपये [illegible]भावित क्षेत्रफल/हिस्से के अनुसार गणना कर नियमानुसार अदा करेगें। राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:08:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनू)

रास्ता कायम होने के पश्चात उक्त दोनों पेड़ो को मौके से हटाकर मजमे आम में निलामी के जरिये निस्तारण कर प्राप्त राजस्व को राजकोष में जमा करवाने की तहसीलदार बुहाना को अनुमति प्रदान की जाती है।

46. निर्णय आज दिनांक **02.06.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.06.18 15:08:21 IST
Reason: SelfAttested